न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)
राजस्व वाद संख्या 108/2020

श्री हीरा पुत्र श्री मोती उम्र बालिग जाति जाट निवासी ग्राम भगवानपुरा तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर (राज.)

————वादी

बनाम

1. श्री घीसालाल पुत्र श्री भैरू उम्र बालिग जाति जाट
2. श्री जगदीश पुत्र श्री भैरू उम्र बालिग जाति जाट
3. रसाल पुत्री श्री भैरू उम्र बालिग जाति जाट
4. श्री गणेश पत्र स्व0 रायचन्द उम्र बालिग जाति जाट
5. श्री भंवरलाल पुत्र स्व0 श्री रायचन्द उम्र बालिग जाति जाट
6. शारदा पुत्री श्री भैरू उम्र बालिग जाति जाट
   निवासीगण ग्राम भगवानपुरा तहसील बिजयनगर जिला अजमेर (राज0)।
7. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार महोदय बिजयनगर जिला अजमेर

————प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 25.02.2021

इस न्यायालय द्वारा दिनांक 05.11.2020 को निर्णय व प्रारंभिक डिक्री पारीत की गई। जिसके तहत तहसीलदार बिजयनगर ने निर्णय व प्रारंभिक डिक्री अनुपालना में तहसीलदार बिजयनगर ने बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर अपने पत्र कमांक भू.अ./2021/503 दिनांक 17.02.2021 को प्रस्तुत किया गया। उपस्थित वादी के अधिवक्ता ने बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार फाईनल डिक्री जारी करने का निवेदन किया।

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्बोपान्त अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन यथाप्रस्ताव बंटवारा स्वीकार योग्य होंने से स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार मौजा ग्राम सथाना पटवार क्षेत्र सथाना तहसील बिजयनगर जिला–अजमेर के खसरा नंबर 1232 रकबा 6.1079 हेक्टेयर स्थित है खसरा नंबर 1232/3 रकबा 1.4764 हेक्टेयर, 1232/4 रकबा 1.4764 हेक्टेयर, को श्री हीरा पुत्र श्री मोती उम्र बालिग जाति जाट निवासी ग्राम भगवानपुरा एव खसरा नंबर 1232/1 रकबा 1.4764 हेक्टेयर, 1232/2 रकबा 1.4764 हेक्टेयर, घीसालाल पुत्र श्री भैरू, जगदीश पुत्र श्री भैरू, रसाल पुत्री श्री भैरू, गणेश पुत्र स्व0 रायचन्द, भंवरलाल पुत्र स्व0 श्री रायचन्द, शारदा पुत्री श्री भैरू जाति जाट निवासी ग्राम भगवानपुरा व (शामलाती रास्ते हेतु) खसरा नंबर 1232/5 रकबा 0.2023 हीरा पुत्र श्री मोती, घीसालाल, जगदीश पुत्र श्री भैरू, रसाल पुत्री श्री भैरू, गणेश, भंवरलाल पुत्र स्व0 श्री रायचन्द, शारदा पुत्री श्री भैरू साकिन देह [illegible] के [illegible] जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बिजयनगर को यथानुसार राजस्व [illegible] पृथक पृथक खाते कायम करने एंव लगान कायम करने तथा राजस्व [illegible] में यथानुसार [illegible] किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना [illegible] पर्चा जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2021 को खुले [illegible] में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.03.24 16:26:43 IST
Reason: SelfAttested

(मोहनलाल खटनावलिया)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा